BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 05 फरवरी, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि मुकेश पुत्र देवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुजापुर धमैड़ा कीरत थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक युवती को भगाकर ले जाना व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 13.11.2020 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 1024/2020 धारा- 376/366 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 16.12.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 05.02.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-15 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुकेश को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर